# FORM NO. III

(८) **फर्द अहकाम** 2023/193

(नियम 26)

उप खण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

अज अदालत _____ मुकाम _____

श्रीरामेश्वर बनाम अम्बालाल

किस्म मुकद्दमा _____ नं. _____ सन् _____

प्र.क्र. 128 148/2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 1-6-23 | प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा सेमलिया ग्राम की आ.न. 273मी. 289मी. 562/20, 565/41, 566/41, 571/243, 575/296 [illegible] विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे।<br>प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये 2500/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।<br>पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>बडीसादडी | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.06.04 09:02:45 IST
Reason: SelfAttested